



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19712-DB

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 275 सन् 2019

राम बरन सरोज और अन्य

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव भूविज्ञान एवं खनन लखनऊ और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता : पं. एस. चन्द्रा

प्रतिवादीयों के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अशोक कुमार बाजपेयी, दीपक सेठ, श्याम बहादुर, सूर्य नारायण पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय,

माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय

1. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पं. एस. चन्द्रा और राज्य-प्रतिवादीयों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री संजीव सिंह को सुना गया।

2. इस अपील के माध्यम से, रिट याचिका संख्या 14121 (एस/एस) सन् 2017 में पारित दिनांक 04.07.2017 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी-याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि उठाए गए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिकायतों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका उपयुक्त उपचार नहीं है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का प्रारंभिक तर्क था कि, समान परिस्थितियों में, एक सह-न्यायाधीश एकल पीठ ने अपीलार्थीगण के समान व्यक्तियों को समायोजित करने के निर्देश के साथ रिट याचिकाओं का निपटारा किया है, लेकिन अपीलार्थीगण के मामले में, याचिका को वैधानिक वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज कर दिया गया है।

4. इस संबंध में, हमने पहले ही संबंधित अपीलों का फैसला कर दिया है और जिन फैसलों में समायोजन के निर्देश दिए गए थे, उन्हें रद्द कर दिया गया है। संबंधित एस.पी.एल.ए. 396 सन् 2015 में पारित ऐसा ही एक निर्णय निम्नानुसार है:-

“1. राज्य-अपीलार्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता और प्रतिवादीगण के श्री समीर कालिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिनकी सहायता श्री श्रीदीप चटर्जी और मोहम्मद शमीम रिजवी, विद्वान अधिवक्ता कर रहे हैं, को सुना गया।

2. यह राज्य द्वारा रिट याचिका संख्या 14277 (एस/एस) सन् 2016 में पारित दिनांक 17.06.2016 के निर्णय और आदेश के साथ-साथ समीक्षा आवेदन में पारित दिनांक 28.07.2016 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई एक अपील है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता एक सेवा प्रदाता के माध्यम से एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में तब तक के लिए नियुक्त किए गए थे जब तक कि खनिज मोहर्रिर (तृतीय श्रेणी पद),

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वाहन चालक और चपरासी के पद नियमित रूप से नहीं भर दिए जाते। वास्तव में, खनिज मोहरिर का पद, तृतीय श्रेणी का पद होने के कारण, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में आता है और भर्ती उक्त आयोग के माध्यम से की जानी है। एक सेवा प्रदाता के माध्यम से विशुद्ध रूप से अंतरिम व्यवस्था के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियमित पद पर समायोजन का कोई अधिकार नहीं है; इसलिए, आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है। दिनांक 17.06.2016 के विवादित निर्णय और आदेश की समीक्षा हेतु एक आवेदन, प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट याचिका संख्या 14277 (एस/एस) सन् 2016 में दायर किया गया था, जिसमें दिनांक 28.07.2016 को एक आदेश पारित किया गया था, जिसमें उपरोक्त निर्णय की समीक्षा की गई थी और यह प्रावधान किया गया था कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों पर विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे संबंधित रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति करने से पहले उनके समायोजन के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। यह भी स्पष्ट किया गया था कि इस मामले को न्यायालय द्वारा इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था, जो अन्य मामलों के लिए एक नज़ीर नहीं होगा।

4. तर्क यह है कि विभाग में नियमित पदों पर एक सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों के समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है, एक ऐसा पहलू जिसे माननीय रिट न्यायालय ने अनदेखा कर दिया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया जाता है कि, विशेष अपील संख्या 396 सन् 2025 में नौ व्यक्तियों और संबंधित विशेष अपील संख्या 395 सन् 2025 में तीन व्यक्तियों को छोड़कर, अन्य कोई भी व्यक्ति 2016 के बाद काम नहीं कर रहा है और उन्होंने केवल लगभग दो साल तक काम किया था।

6. प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समीक्षा के आदेश में ही, उनके समायोजन पर विचार करने के लिए शर्तें रखी गई हैं; इसलिए, अपीलार्थीगण को यह देखने की स्वतंत्रता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ता उन योग्यताओं और शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं।

7. हम प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों से प्रभावित नहीं हैं, क्योंकि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित भर्ती द्वारा नियमित पदों को भरे जाने तक विशुद्ध रूप से अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त किया गया था। प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को किसी भी ऐसे नियमित पद पर समायोजन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। खनिज मोहररि, वाहन चालक और चपरासी के पद पर सेवा की शर्तों का निर्धारण करने वाले नियमों में सेवा प्रदाता के माध्यम से लगे ऐसे कर्मियों के समायोजन का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रावधान दिखाया गया है। यहाँ तक कि सेवाओं के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए भी, राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर नियम बनाए गए हैं और कोई ऐसे नियम नहीं हैं जिनके तहत प्रतिवादी-याचिकाकर्ता विचार के लिए आ सकें। तदनुसार, हम पाते हैं कि विद्वान एकल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करने और फिर जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समीक्षा कार्यवाही में एक और आदेश पारित करने में गंभीर रूप से गलती की है।

8. हम तदनुसार अपील को **अनुमति** देते हैं और दोनों विवादित आदेशों को रद्द करते हैं। रिट याचिका और समीक्षा आवेदन खारिज किए जाते हैं।

9. हमारा आदेश प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं में से किसी की भी सेवा की निरंतरता में, यदि वे अभी भी काम कर रहे हैं और भविष्य में कोई ऐसे नियम हैं जिनके तहत ऐसे व्यक्ति नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं, तो ऐसे विचार में बाधक नहीं होगा।”

5. जहाँ तक इस अपील का संबंध है, हम पाते हैं कि अपीलार्थी-याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई थी:

“ 1. परमादेश की प्रकृति में एक रिट या रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 1 से 4 को यह आदेश दिया जाए कि वे विरोधी पक्ष संख्या 1 से 4 के अधीन पिछले 3 वर्षों की निरंतर सेवा को ध्यान में रखते हुए, 'कुशल श्रमिक' के पद पर याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करें और तदनुसार, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

II. न्याय के हित में, परमादेश की प्रकृति में एक रिट या रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जिसके द्वारा विरोधी पक्ष संख्या 1 से 4 को खनिज श्रमिक के चार पदों को आरक्षित करने और वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय होने तक दिनांक 18-5-2017 की अधिसूचना के अनुसरण में नई नियुक्तियां न करने का निर्देश दिया जाए।

III. मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह माननीय न्यायालय उपयुक्त और न्यायसंगत समझ कर कोई भी आदेश या निर्देश जारी करें।”

6. यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं को दिनांक 27.01.2016 और 29.01.2016 के आदेशों के अनुसरण में एक सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जो अभिलेख पर है। हमने उनका अवलोकन किया है। ये आदेश नियमित भर्ती द्वारा संबंधित पदों को भरे जाने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में सेवा प्रदाता के माध्यम से खनिज मोहरीर, चपरासी और वाहन चालक के पदों के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए थे।

7. रिट याचिका के प्रस्तर 8 में, यह कहा गया है कि अपीलार्थी-याचिकाकर्ताओं ने अभिकरण के समक्ष अपनी नियुक्ति का अनुसरण किया था और तदनुसार दिनांक 30.05.2014 की एक सूची निदेशक, विरोधी पक्ष संख्या 2 को भेजी गई थी। प्रस्तर 9 में, यह कहा गया है कि अभिकरण द्वारा 30.05.2014 को भेजी गई सूची के अनुसरण में (जो स्पष्ट रूप से सेवा प्रदाता का संदर्भ है, जिसे विरोधी पक्ष संख्या 4 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है), निदेशक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने उस सूची को अनुमति दे दी, और तदनुसार, अपीलकर्ताओं-याचिकाकर्ताओं ने अपना कार्यभार ग्रहण किया और काम किया। प्रस्तर 11 में, यह कहा गया है कि अपीलार्थी संख्या 1 और 2 ने क्रमशः 16.08.2014 और 29.10.2015 को कार्यभार ग्रहण किया। पूछे जाने पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने केवल लगभग दो साल तक काम किया और 2016 के बाद किसी ने भी काम नहीं किया है।

8. अब, हम विवादित निर्णय को उद्धृत कर सकते हैं, जो निम्नवत् है:

“ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ काम बाहर से लिया गया था, और एक ठेकेदार को लगाया गया था। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे विभाग में एक संविदा कर्मचारी के रूप में काम करते रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि विभाग ने एक नए ठेकेदार को लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की है, और इसलिए याचिकाकर्ताओं की सेवा समाप्त होने की संभावना है।

इस प्रकार प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादियों को प्राथमिकता के आधार पर याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।

याचिका का विरोध करते हुए राज्य द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की प्रकृति को देखते हुए, उन्हें किसी भी अधिमान्य उपचार का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिलता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं सहित कुछ व्यक्तियों को काम बाहर दिए जाने के अनुसरण में संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता निस्संदेह ओरिएंटल सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज यानी प्रतिवादी संख्या 4 के कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी राज्य के बीच अनुबंध का कोई संबंध प्रतीत नहीं होता है। यदि विभाग ने नई निविदाएं बुलाई हैं, तो याचिकाकर्ताओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत केवल प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध हो सकती है, जो ठेकेदार है, और जिसने याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, 2001(7) एससीसी 1 में यह तय किया गया है कि ठेकेदार, उसके कर्मचारियों और प्रमुख नियोक्ता के बीच रोजगार के संबंध में कोई भी विवाद 'औद्योगिक न्यायनिर्णायक' द्वारा सामान्यतः सुना जाना चाहिए। मांगी गई राहत के लिए रिट याचिका उपयुक्त उपचार नहीं है। विवरण का प्रस्तर 126 निम्नानुसार दोहराया गया है:-

“126. हमने जानबूझकर “औद्योगिक न्यायनिर्णायक” अभिव्यक्ति का उपयोग किया है क्योंकि उपरोक्त प्रश्नों के निर्धारण के लिए विवादित तथ्यों के प्रश्नों की जांच की आवश्यकता होती है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों द्वारा आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे मामलों में उन मुद्दों पर जाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण/ न्यायालय होगा जिसका निर्धारण न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।”

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

याचिकाकर्ताओं के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त उपचार की तलाश करने के लिए इसे खुला छोड़ते हुए, रिट याचिका अभिलेखों में दर्ज की जाती है।”

9. बहस के दौरान, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पं. एस. चन्द्रा ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादि एक गलत प्रथा का सहारा ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत वे पहले से बाह्य स्रोत के कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह बाद में दूसरे बाह्य स्रोत कर्मचारियों को रख रहे हैं। हमें रिट याचिका में ऐसी कोई दलील नहीं मिलती है; फिर भी, यदि ऐसा है, तो यह सेवा प्रदाता, जो अपीलार्थीगण का नियोक्ता है, और अपीलार्थीगण के बीच एक विवाद है।

10. हमने विवादित निर्णय का अवलोकन किया है और हमें उसमें कोई त्रुटि नहीं मिलती है क्योंकि राज्य अधिकारियों से संबंधित रिट याचिका में मांगा गया विवाद और अनिवार्य रूप से सहायता, विचारणीय नहीं है, क्योंकि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त किए गए और दो या तीन साल की छोटी अवधि के लिए काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों को राज्य के तहत नियमित स्वीकृत पदों पर समायोजित या नियमित किया जा सके।

11. इस स्तर पर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पं. एस. चन्द्रा ने प्रस्तुत किया कि अपील में दायर अंतरिम आवेदन के प्रस्तर 3 में यह कहा गया है कि अपीलार्थियों को 14.06.2017 को हटा दिया गया था, जिसका अर्थ है कि वे तब से काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत कम अवधि के लिए ही काम किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. सर्वप्रथम, अपील में (रिट याचिका में नहीं) उनके इस दावे को लेकर कि उन्हें 2017 में हटा दिया गया है, इस संबंध में रिट याचिका में कोई राहत नहीं मांगी गई थी; दूसरी बात, हम पाते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को श्रम/ औद्योगिक न्यायालय के समक्ष उपचार के लिए सही ढंग से प्रत्यायोजित किया, क्योंकि अनिवार्य रूप से विवाद सेवा प्रदाता और अपीलार्थियों के बीच है। अपीलार्थीगण राज्य के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें ऐसा माना भी नहीं जा सकता है। जहाँ तक अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री पं. एस. चन्द्रा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों, सचिव, एच.एस.ई.बी. बनाम सुरेश और अन्य (1999) 3 एससीसी 601; हरियाणा राज्य और अन्य, आदि बनाम पियारा सिंह और अन्य, आदि (1992) 2 यूपीएलबीईसी 1353; जग्गो बनाम भारत संघ और अन्य, एसएलपी (सी) संख्या 5580 ऑफ 2024 में पारित, दिनांक 20.12.2024 को तय किया गया और मनीष गुप्ता और अन्य, आदि बनाम अध्यक्ष, जन भागीदारी समिति और अन्य, आदि 2022 लाइव लॉ (एससी) 406 पर भरोसा किया गया है, हमने उन्हीं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और, मामले के तथ्यों में, उक्त फैसलों का कोई आवेदन नहीं है।

13. जहाँ तक जग्गो (ऊपर उल्लिखित) पर रखे गए भरोसे का संबंध है, व्यक्ति (यहाँ अपीलार्थी) 2017 से काम नहीं कर रहे हैं। रिट याचिका में ही, तथ्य स्पष्ट नहीं हैं कि अपीलार्थी संख्या 1 और 2 को 2014, 2015 और 2016 में नियुक्त किया गया था या नहीं। यह मानते हुए भी कि उन्हें 2014 में नियुक्त किया गया था, तथ्य यह है कि उन्हें मार्च, 2017 में हटा दिया गया था। इसलिए, हम यह समझने में विफल हैं कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उन्हें नियमितीकरण या समायोजन, जैसा भी मामला हो, के लिए क्या अधिकार प्राप्त हो सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

14. श्री संजीव सिंह, विद्वान राज्य अधिवक्ता, वास्तव में, संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं।

15. इसलिए, हमें विवादित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं मिलती है। तदनुसार, विशेष अपील **खारिज** की जाती है।

16. हमारा आदेश विरोधी पक्षकारों के रास्ते में नहीं आएगा, यदि विचाराधीन सेवा प्रदाता अपनी सेवाएं प्रदान करना चाहता है, यदि आधिकारिक विरोधी पक्षकारों को ऐसा आवश्यक हो।

मार्च 18, 2026

शुभंकर

(न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय) (न्यायमूर्ति राजन राय)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।